राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश

1680. श्री **राधाकिशन मालवीय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के राष्ट्रीयकृत बैंकों को कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए है ;

(ख) यदि हा, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या बैंकों को समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों विशेषत: हरिजनों और आदिवासियों के उत्थान के लिए ऋण मंजूर करने के संबध में अपनी भूमिका निभाने के लिए निर्देश दिया गया है ?

वित मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारा) : (क) और (ख) दिनांक 15 सितम्बर, 1987 के भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र मे बैंकों से यह कहा गया है कि तीन या उस से अधिक वर्षो से लगातार सूखे से प्रभावित किसानों के मामलो में चालू वर्ष (जलाई 1987 जून, 1988) मे देय मूल न और ब्याज की रकम की वसूली दो वर्ष या अगले सामान्य वर्ष तक, यदि वह पहले हो, स्थगित कर दी जाए । इसके अलावा बैंकों को इन मामलो मे दण्डात्मक ब्याज नही लगाना चाहिए और न ही स्थगित देय राशियो के ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज मे बदलना चाहिए । बैंको को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अल्पावधिक ऋणो के मामलो मे छोटे और सीमातिक किसानो द्वारा देय ब्याज की कुल राशि मूलधन से अधिक न हो ।

(ग) बैको से यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है कि उनके द्वारा दिये जाने वाले अग्रिमो का कम से कम 10 प्रतिशत भाग समाज के कमजोर वर्गो को दिया जाए जिनमे छोटे और सीमातिक किसान बटाईदार, ग्रामीण कारीगर, ग्राम और कुटीर उद्योग, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के हिताधिकारी, विभेदी ब्याज दर योजना के हिताधिकारी और अनुसूचित जातियां अनुसूचित जन जातियो के हिताधिकारी शामिल है । अनुसूचित जातियो/अनुसूचित जनजातियों के हिताधिकारियों के ऋणो के मामले मे ऋणों के प्रस्ताव शाखा प्रबंधक से उच्च स्तर पर रद्द किये जाने चाहिये । अनुसूचित जातियों/अनसूचित जनजातियों को 4 प्रतिशत वार्षिक की नाम मात्र ब्याज दर पर 5,000 रुपए तक के आवास ऋण दिये जाए ।

Amendment of Industrial Disputes Act, 1947

1681. DR. R. K. PODDAR:

SHRI MOSTAFA BIN QUASEM:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government propose to move any amendment to the Industrial Disputes Act, 1947 restricting the moves of employers to drag the cases in Labour Courts through appeals, postponements, and other devices, which resulted in more than 40,000 cases pending in Labour Courts, aimed only to wear down the workers; and

(b) if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P A. SANGMA): (a) and (b) Under the relevant provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, an order referring an industrial dispute to a Labour Court shall specify the period within which it shall submit its award on such dispue to the appropriate Government provided that no such period shall exceed three months where such industrial dispute is connected with an individual workman. Similarly, Labour Courts are also required to decide applications under section 33C(2) of the said Act received from workmen within a period of three months. These provisions having come into force with effect from the 21st August, 1984, there is no proposal under Government's consideration to prescribe new time-limits for disposal of cases.